बिहार सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
कार्यालय, वन प्रमण्डल पदाधिकारी, भागलपुर वन प्रमण्डल, भागलपुर।
सुन्दरवन, हनुमान घाट, बरारी रोड, भागलपुर पिन–812003
दूरभाष संख्या: 0641 2611032, ई मेल– divfobhagalpur-bih@nic.in, dfobhagalpur@gmail.com

पत्रांक– ... 315...   भागलपुर, दिनांक–04/03/2022

प्रेषक,

भरत चिन्तपल्लि ''भा0व0से0'',
वन प्रमंडल पदाधिकारी
भागलपुर वन प्रमंडल, भागलपुर।

सेवा में,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा),
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार पटना।

विषय :– राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या–80 के जीरोमाईल (सबौर) से मिर्जाचौकी तक पथों का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण करने हेतु पातित/प्रतिस्थापित किये जाने वाले पेड़ों का वृक्ष सुरक्षा योजना के तहत् क्षेत्रीय सक्षम समिति की बैठक की कार्रवाई की प्रति भेजने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या–80 के जीरोमाईल (सबौर) से मिर्जाचौकी तक का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु वन भूमि अपयोजन का प्रस्ताव जिसमें पातित/प्रतिस्थापित किये जाने पेड़ों का संयुक्त गणना सूची एवं प्रस्ताव वन संरक्षक भागलपुर अंचल, भागलपुर के पत्रांक– 75 दिनांक–02.02.22 द्वारा भवदीय के कार्यालय में भेजी गई थी।

वृक्ष सुरक्षा योजना के तहत् राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या–80 के जीरोमाईल (सबौर) से मिर्जाचौकी तक का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण में पातित/प्रतिस्थापित किये जाने वाले पेड़ों का संयुक्त गणना सूची क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, भागलपुर को क्षेत्रीय सक्षम समिति की बैठक में आवश्यक निर्णय लेने हेतु दिनांक–03.03.2022 को भेजी गई। क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक भागलपुर के कार्यालय से दिनांक–04.03.2022 को क्षेत्रीय सक्षम समिति की बैठक की कार्रवाई कि प्रति प्राप्त हुई हैं, जिसे पत्र के साथ संलग्न कर आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजा जा रहा है।

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

अनु0–यथो0

विश्वासभाजन
4/3/22

(भरत चिन्तपल्लि)
वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
भागलपुर वन प्रमंडल, भागलपुर।
04/3/2022

आज दिनांक 04.03.2022 को प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना के कार्यालय आदेश संख्या–03 दिनांक–01.10.2019 के द्वारा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार सरकार के कार्यालय आदेश संख्या–39 सह पठित ज्ञापांक–974(ई0) दिनांक–26.07.2019 के द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों के अधीन पेड़ों के पुर्नस्थापन/पातन हेतु प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित वृक्ष सुरक्षा योजना पर विचारोपरान्त निर्णय लेने हेतु गठित क्षेत्रीय सक्षम समिति की भागलपुर में अध्यक्ष–सह–क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, भागलपुर की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक की कार्यवाही :–

उपस्थिति :–

1. **क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, भागलपुर**
2. **वन संरक्षक, भागलपुर अंचल, भागलपुर**
3. **वन प्रमंडल पदाधिकारी, भागलपुर वन प्रमंडल, भागलपुर**

सर्वप्रथम क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, भागलपुर–सह–अध्यक्ष द्वारा गठित समिति के समक्ष इस संबंध में प्राप्त निदेशों पर विस्तृत प्रकाश डाला गया।

वन प्रमंडल पदाधिकारी, भागलपुर–सह–सदस्य सचिव द्वारा क्षेत्रीय सक्षम समिति के समक्ष बताया गया कि राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या– 80 के पथांश कि0मी0 132.895 (जीरोमाईल, भागलपुर) से कि0मी0 190.150 (मिर्जाचौकी), भागलपुर जिला के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत् कार्य में बाधा पहुँचाने वाले कुल 6563 (छः हजार पाँच सौ तिरेसठ) जीवित पेड़ हैं, जिसमें पातित होने वाले पेड़ों की संख्या 3672 (तीन हजार छः सौ बहत्तर) तथा प्रतिस्थापित होने वाले पेड़ों की संख्या 2891 (दो हजार आठ सौ एकानवे) है। उक्त सभी पेड़ों का संयुक्त गणना वनों के क्षेत्र पदाधिकारी, भागलपुर एवं सहायक अभियंता, रा०उ०प० अवर प्रमंडल, सुल्तानगंज के द्वारा की गयी है। वन प्रमंडल पदाधिकारी के द्वारा दिनांक 24.01.2022 को स्थलीय निरीक्षण किया गया है एवं उनके पत्रांक 306 दिनांक–03.03.2022 से वृक्ष सुरक्षा योजना समर्पित किया है, जिसे समिति के समक्ष विचार हेतु प्रस्तुत किया गया।

सदस्य सचिव द्वारा निम्नांकित तथ्यों को भी समिति के समक्ष रखा गया।

1. वृक्ष सुरक्षा योजना समर्पित करने के प्रस्ताव पर प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा स्थल पर सर्वेक्षण के दौरान विभागीय पदाधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे हैं। दिनांक–24.01.2022 को वन प्रमंडल पदाधिकारी, भागलपुर द्वारा भी स्वयं स्थल निरीक्षण किया गया एवं कुल 6563 (छः हजार पाँच सौ तिरेसठ) जीवित पेड़ हैं, जिसमें पातित होने वाले पेड़ों की संख्या 3672 (तीन हजार छः सौ बहत्तर) तथा प्रतिस्थापित होने वाले पेड़ों की संख्या 2891 (दो हजार आठ सौ एकानवे) हैं।
2. वन प्रमंडल पदाधिकारी ने बताया कि वृक्ष सुरक्षा योजना के तहत उन्हीं वृक्षों के पातन का प्रस्ताव है, जिनका Traslocation विभिन्न कारणों से संभव नहीं है।

क्षेत्रीय सक्षम समिति के द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या– 80 के पथांश कि0मी0 132.895 (जीरोमाईल, भागलपुर) से कि0मी0 190.150 (मिर्जाचौकी) भागलपुर जिला के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के लिए वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत् समर्पित प्रस्ताव से संबंधित संलग्न वृक्ष सुरक्षा योजना पर सहमति दी जाती है। समिति की बैठक की कार्यवाही से अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण), बिहार, पटना को अवगत कराने हेतु सदस्य सचिव–सह–वन प्रमंडल पदाधिकारी, भागलपुर वन प्रमंडल को अधिकृत किया गया।

अंत में सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई ।

4/3/22	4/3/22	04/03/22
सदस्य सचिव –सह– वन प्रमंडल पदाधिकारी, भागलपुर वन प्रमंडल, भागलपुर।	सदस्य–सह– वन संरक्षक, भागलपुर अंचल, भागलपुर।	अध्यक्ष–सह– क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, भागलपुर।

Abstract of tree Counting in NH-80 From Km 132.895 (Zeromile Bhagalpur) to Km 190.150 (Mirzachouki)

S.No	Particulars	Trees in LHS	Trees in RHS	Total No of Trees
1	Cutting (C)	1935	1737	3672
2	Translocation (T)	1595	1296	2891
3	Total no of Trees	3530	3033	6563

14.1.22
JE

14/01/2022
A.E

15/01/22
Arboriculturist

1/2/22
Divisional Forest Officer
Bhagalpur Forest Division
1/2/2022

Abstract of trees that are likely to be affected in NH-80 from KM 132.895 to 190.150

A — **Abstract of tree to be cutting**

Sl.No.	Girth Size	0 - 30 cm	31 - 60cm	61 - 90cm	91 - 120cm	121 - 150 cm	>150 cm	Total
1	LHS	60	224	283	513	389	466	1935
2	RHS	51	187	306	504	310	379	1737
	Total	**111**	**411**	**589**	**1017**	**699**	**845**	**3672**

B — **Abstract of tree to be translocate**

Sl.No.	Girth Size	0 - 30 cm	31 - 60cm	61 - 90cm	91 - 120cm	121 - 150cm	>150 cm	Total
1	LHS	167	964	462	0	1	1	**1595**
2	RHS	171	763	362	0	0	0	**1296**
	Total	**338**	**1727**	**824**	**0**	**1**	**1**	**2891**

Total nos. of trees that are likely to be affected in NH-80 = A+ B

3672	+	2891	=	**6563**

04/07/2022

Executive Engineer
N.H. Division, R.C.D., Bhagalpur.